दिनांक 12.08.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम कुछ सप्ताह पूर्व किये गए कार्य आवंटन के अनुसार संचिकाओं के प्रभार के आदान–प्रदान के संबंध में पृच्छा की गयी। ज्ञात हुआ कि अभी तक यह कार्य लम्बित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी को स्पष्ट निदेश दिया गया कि दिनांक 16.08.2021 तक निश्चित रूप से संबंधित सहायको द्वारा संचिकाओं के प्रभार से संबंधित यदि आवश्यक हो तो अवकाश के दिनों में भी कार्यालय को खोलकर संचिकाओं के प्रभार के आदान–प्रदान संबंधी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाय। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रत्येक दशा में सोमवार (दिनांक 16.08.2021) से नये प्रभार के अनुसार ही संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो के साथ–साथ पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की निम्नवत समीक्षा की गयी :–

1. प्रिन्टिंग (छपाई) संबंधी कार्य :–

(क) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन –

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की छपाई से संबंधित पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि छपाई संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सोमवार तक 1000 प्रतियाँ निदेशालय को उपलब्ध करा दी जायेगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्व की तरह इस बार भी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि कोई बन्दोबस्त कार्यालयों से संबंधित बैठक/प्रशिक्षण आयोजित होता है तो उसमें भी इसकी प्रति वितरित की जाय।

(ख) मार्बल व मैजिक –

(i) मार्बल की छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि मार्बल की 5000 प्रति निदेशालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगों एवं अन्य जिनको जरूरत हो उनको वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारियों की भी आवश्यकतानुसार सहायता ली जा सकती है। यदि नोडल पदाधिकारी संबंधित जिलों में भ्रमण पर जाते हैं तो मैजिक की प्रति वितरण हेतु उन्हें उपलब्ध करायी जा सकती है।

(ii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मैजिक की छपाई से संबंधित पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कियह कार्य अभी भी लम्बित है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि यदि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अन्तर्गत प्रपत्र–6 अथवा Legands आदि या अन्य संबंधित में Enhancement/ Amendment किया गया हो तो उसे भी जोड़कर छपाई शीघ्र कराने का निदेश दिया गया।

(ग) महत्वपूर्ण पत्रों के संकलन की छपाई –

उक्त के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि आवश्यक पत्र/दस्तावेज विशेष सर्वेक्षण कोषांग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने कारण अभी यह कार्य लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर से निर्गत महत्वपूर्ण पत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ आदि को संकलित करते हुए शीघ्र छपाई का कार्य सम्पन्न किया जाय।

2. स्थापना संबंधी कार्य :–

(i) पृच्छा करने पर अधोहस्ताक्षरी को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के संबंध में बताया गया की यह कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस से संबंधित आदेश भी निर्गत है जिसे वेबसाईट पर प्रकाशित करते हुए बन्दोबस्त कार्यालयों को भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु अगले चरण के लिए तिथि निर्धारित करते हुए सभी जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों/बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को पत्र देना सुनिश्चित किया जाय जिसमें पिछली दोनों ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की बैठकों का उल्लेख करते हुए निदेश दिया जाय कि यदि ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित कोई मामला लम्बित हो तो निदेशालय को निर्धारित तिथि के अन्दर उपलब्ध कराया जाय अन्यथा पूर्ण जबावदेही मानते हुए यह समझ लिया जाएगा कि ऐसा कोई मामला उक्त कार्यालय में नहीं है।

(ii) पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में ए0डी0एफ0 स्कैनर के क्रय से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(iii) (क) संचिकाओं के स्कैनिंग के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया विशेष सर्वेक्षण नवनियोजित कर्मियों से संबंधित फोल्डर के स्कैनिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। केवल 58 कर्मियों के फोल्डरों के स्कैनिंग का कार्य शेष है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि स्कैन किये गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के फोल्डरों को संबंधित सहायक अपनी देख–रेख में R2R सॉफ्टवेयर में आई0टी0 कोषांग की सहायता से अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। स्कैन किये गए फोल्डरों की शुद्धता की जिम्मेवारी संबंधित सहायक की होगी।

(ख) आई0टी0 कोषांग के प्रोग्रामर को निदेश दिया गया कि R2R सॉफ्टवेयर में निदेशालय को प्राप्त Verification Certificate को भी संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के साथ Attach करने का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ग) ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु रकम की मांग की जा रही है। इस संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग या अन्य कार्यालयों जहाँ इस प्रकार के मामले हो सकते है एवं उनके द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है अथवा इससे संबंधित कोई पत्र आदि निर्गत हो के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर संचिका में उपस्थापित करेंगे ताकि इस महत्वपूर्ण मामले का निपटारा किया जा सके।

(घ) उक्त के अतिरिक्त निदेश दिया गया कि जितने लोगो का Councelling हुआ है उन सभी के फोल्डरों का भी स्कैनिंग किया जाय एवं उनकी प्रविष्टि Application ID के आधार पर R2R सॉफ्टवेयर में एक अलग टैब बनाकर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय

(ङ) त्यागपत्र स्वीकृत किये गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को R2R सॉफ्टवेयर में Disable करने हेतु संबंधित सहायक को निदेश दिया गया। आवश्यकतानुसार इस हेतु आई0टी0 कोषांग से सहायता ली जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त बन्दोबस्त कार्यालयों में त्यागपत्र दिये गए कर्मियों की सूची संलग्न कर पत्र प्रेषित एवं स्थापना शाखा द्वारा Cross Check भी करना सुनिश्चित किया जाय ताकि त्यागपत्र स्वीकृति के पश्चात कोई भी कर्मी कार्य करता न पाया जाय।

(iv) (क) e-Office के संबंध में पृच्छा करने पर अधोहस्ताक्षरी को जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व की बैठक में निदेश के बावजूद e-Office के माध्यम से संचिकाओं आदि का उपस्थापन न करते हुए Physical रूप में उपस्थापित किया जा रहा है।

इस संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि e-Office को Migrate किये जाने के कारण में कुछ त्रुटि आ रही थी जिसके कारण कार्य करने में असुविधा हो रही थी। वर्त्तमान में उसका निराकरण कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि e-Office को सुचारू ढ़ंग से कार्यरत कराने हेतु यदि किसी प्रकार के उपकरण यथा कम्प्यूटर/स्कैनर आदि की आवश्यकता हो तो इससे संबंधित प्रस्ताव अविलम्ब उपस्थापित किया जाय। e-Office के संचालन से संबंधित समस्या के बारे में पृच्छा करने पर सहायक निदेशक द्वारा बताया गया की कर्मियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस संबंध में आई0टी0 कोषांग को निदेश दिया गया कि वे e-Office के प्रशिक्षण हेतु संबंधित को सूचित करें एवं प्रशिक्षण आयोजित कराते हुए कर्मियों को प्रशिक्षित करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया कि नई संचकाए अब e-Office के माध्यम से ही उपस्थापित किया जाय। Physical रूप में केवल वैसी ही संचिका वर्त्तमान में उपस्थापित किया जाएगा जिसका e-Office के माध्यम से उपस्थापन में समस्या हो।

(ख) e-Office के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सहायक/लिपिक द्वारा अपने–अपने प्रभार की सभी चालू संचिकाओं (Current file) के स्कैनिंग का कार्य इसी सप्ताह कराना सुनिश्चित किया जाय। स्कैन की गयी संचिकाओं को e-Office में मैंपिंग करने हेतु हार्ड डिस्क में एकत्र कर आई0टी0 विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित प्रोग्रामर को दिया गया। इस हेतु वे एक Log भी संधारित करेंगे ताकि प्रेषित संचिकाओं के बारे में जानकारी हो सके।

(v) (क) बन्दोबस्त कार्यालयों के स्थापना/लेखा/न्यायालय आदि अन्य मामलों की समीक्षा हेतु ऑनलाईन प्रपत्र के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि इसे लगभग तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सहायक निदेशक उक्त ऑनलाईन प्रपत्र का अवलोकन कर लें एवं यदि उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे कराते हुए इसकी सूचना सभी संबंधित कार्यालय को देकर इसे Implement कराना सुनिश्चित किया जाय। ऐसा करनें से सभी 38 जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों एवं बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से प्रतिवेदन ससमय प्राप्त हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु चयनित 20 जिलों से ऑनलाईन प्रतिवेदन निदेशालय को प्राप्त हो रहें है।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिलावार Pendency List तैयार किया जाय ताकि जब जिलों का भ्रमण किया जाता है तो उसे उपलब्ध कराया जाय। इससे Pending मामलों के निष्पान में तीव्रता आएगी।

(vi) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के अवधि विस्तार हेतु संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए प्रस्ताव संचिका में शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vii) कबाड़ हटाने संबंधी लम्बित कार्रवाई को इसी सप्ताह पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इससे संबंधित विज्ञापन का प्रस्ताव शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(viii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा हेल्पलाईन के संबंध में निदेश दिया गया कि हेल्पलाईन की संचालन प्रक्रिया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि यदि कोई कॉल आता है तो किस प्रकार Respond किया जाना है से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर संचिका में शीघ्र उपस्थापित किया जाय।

(ix) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग एवं लेखापाल, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को निदेश दिया गया कि वे प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी विपत्रों का GoI राशि से समायोजन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपस्थापित करें।

(x) (क) लाईब्रेरी में संधारित पुस्तकों आदि के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संधारित पुस्तकों की सूची को सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। लाईब्रेरी हेतु क्रय किये जाने वाले पुस्तकों की एक विषयानूसार सूची इसी सप्ताह तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कोई भी कर्मी पुस्तकों की सूची उपलब्ध करा सकता है।

(ख) उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर से प्रकाशित सभी संकलित पत्रों/प्रतिवेदनों/मैजिक आदि की कम से कम 10–10 प्रतियाँ लाईब्रेरी में भी आवश्यक रूप से संधारित किया जाय।

3. **विभागीय कार्यवाही** – विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में प्रगति लायी जाय। विभिन्न जिलों से शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसके संबंध में निदेश दिया गया कि इसमें विलम्ब नहीं किया जाय एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
विभागीय कार्यवाही	00	17	17	00	06	11
आरोप	01	31	32	00	00	32
सेवान्त लाभ	00	10	32	00	00	32

संबंधित द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बताया गया कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित लम्बित मामला निम्न है–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
1	श्री वासुकीनाथ प्रसाद, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	तीन सेवानिवृत्त कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का प्रस्ताव नहीं भेजने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
2	श्री देव नरायण लाल दास, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	फर्जी अभिलेख का नकल निर्गत करने का आरोप।	अधिगम प्राप्त
3	श्री मंजर आलम, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनुशासनहीनता, कार्यालय का कार्य अवरूद्ध करने एवं अभिलेखागार में ताला बन्द करने का आरोप	अधिगम प्राप्त
4	श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यकारी प्रधान लिपिक	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनियमितता एवं उजरत भोगी अमीनों को चुपचाप अनुभव प्रमाण– पत्र निर्गत करने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
5	श्री सुधीर कुमार दास, स0ब0प0			अधिगम प्राप्त
6	श्री चितरंजन कुमार दास, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	अभिलेख में हेरा–फेरी करने के सबंध में।	अधिगम प्राप्त
7	श्री अविनाश किशोर, नि0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर/खगड़िया	आदेशोल्लंघन के संबंध में।	अधिगम अप्राप्त
8	श्री राकेश कुमार सिन्हा, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	आदेश के अवहेलना आदि के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
9	श्री निरज कुमार सिंह, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा/प0चम्पारण (बेतिया)	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं रखने तथा कर्मचारी/पदाधिकारी के साथ उदण्ड आचरण के संबंध में।	अधिगम अप्राप्त

क्र0 सं0	नाम / पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
10	श्री उमाकान्त , नि0व0लि0	प्रचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	सरकारी कर्त्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में।	**अधिगम अप्राप्त**
11	श्री विद्यासागर पासवान, कार्यालय परिचारी	बन्दोबस्त कार्यालय, बांका	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीन आचरण एवं अभद्र व्यवहार व कार्यालय का माहौल खराब करने आदि के संबंध में	**निलम्बित**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि जिस कार्यालय से अधिगम लम्बित है वहाँ स्मार देकर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि शीघ्र प्राप्त हो सके एवं पाँच अधिगम प्राप्त वाले मामले का निपटारा अगली बैठक के पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. **सूचना के अधिकार से संबंधित** – अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित लम्बित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि यदि सूचना का अधिकार निदेशालय से संबंधित नहीं हो तो संबंधित कार्यालय को शीघ्र Transfer करना सुनिश्चित किया जाय।

5. **न्यायालय संबंधी कार्य** :– सी0डब्लू0जे0सी0, एम0जे0सी0, एल0पी0ए0 आदि मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निदेश दिया गया। उक्त से संबंधित निम्न लम्बित मामला के संबंध में जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	इस सप्ताह निष्पादित	पूर्व में निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
सी0डब्लू0जे0सी0	00	20	20	06	00	14
एम0जे0सी0	00	00	00	00	00	00
एल0पी0ए0	00	00	00	00	00	00
अन्य मामला	00	00	00	00	00	00

सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

वाद का प्रकार		वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर अंचलाधिकारी, समस्तीपुर सदर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में
2	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री लक्ष्मण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	पैतृक सम्पति मौजा बंसतपुर थाना न0 11 / समनपुरा थाना न0 12 भूमि विवाद के संबंध में।
3	C.M	W.P No. 35881 /2017	मोहन लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य		समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के संबंध में
4	CWJC	CWJC No --------/2019	उज्जवल कुमार सुमन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	Mutation of Land
5	CWJC	CWJC No 9410/2018	विजय दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	Khata No 74, Plot No - 313, Land - 17 Decimal, RoR

वाद का प्रकार		वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
6	CWJC	CWJC No ………./ 2020	श्री राजीव कुमार सिह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा / समस्तीपुर	सीमाकंन कार्य के संबंध में।
7	CWJC	CWJC No ………./ 2021	श्री रामचन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी, गया	गया जिले के मानपुर अंचल के मौजा नारो घाट में रिविजनल सर्वे में सुधार करने अर्थात् अनावाद बिहार सरकार तथा अनाबाद सर्वेसाधारण के खाते को अपने नाम से खाता खुलवाने से संबंधित है।
8	CWJC	CWJC No 11869/ 2021	श्री राम कुमार सिह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।			पुनरीक्षत वेतनमान के संबंध में।
9	CWJC	CWJC No ……./2021	शारदा देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		जिलाधिकारी, भोजपुर (आरा)	जामबंदी पंजी–02 के संबंध में।
10	CWJC	CWJC No ………./ 2020	पुनम देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी, वैशाली, अंचलाधिकारी, राघोपुर, वैशाली	ग्राम राघोपुर एवं फतेहपुर का सीमाकंन कार्य से संबंधित।
11	CWJC	CWJC No 4981/ 2020	विशाल कुमार मौर्या बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
12	CWJC	CWJC No 10749/ 2020	श्री ऋषिकेश कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन संविदा नियोजन के संबंध में।
13	CWJC	CWJC No 4160/ 2021	श्री वीरेन्द्र कुमार बिमल बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
14	CWJC	CWJC No 7312/ 2021	श्री विनीत कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
15	CWJC	CWJC No 5390/ 2021	श्री अनुपम कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
16	CWJC	CWJC No 7260/ 2021	श्री राजेश बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
17	CWJC	CWJC No 7790/ 2021	श्री श्याम नारायण ठाकुर बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
18	CWJC	CWJC No 7652/2020	श्री अभिषेक कुमार बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
19	CWJC	CWJC No ……./2021	श्री शुभम कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
20	CWJC	CWJC No 737/ 2021	श्री आशीष प्रकाश अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन की गति काफी धीमी है। उक्त न्यायालय से संबंधित लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निदेश दिया गया।

6. लेखा संबंधी कार्य :–

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष आदि के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संबंधित सारे विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे सभी प्रकार के निदेशालय से संबंधित विपत्र जिसका भुगतान प्रत्येक मास किया जाना होता है की सूची बनाकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शीघ्र समर्पित करें।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर के Admin Block एवं छात्रावास हेतु विद्युत मीटर अलग करने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि उक्त हेतु अलग से ट्रान्सफरमर बैठाये जाने के पश्चात् ही अलग कनेक्शन किया जा सकेगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बतायी गयी बात को लिखित रूप प्राप्त किया जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(ग) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी लम्बित विपत्रों का भुगतान शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(घ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि लॉग बुक की जाँच करते हुए प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराया जाय।

(ङ) ऑडिट के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि पूर्व की सभी आपत्तियों का निष्पादन कर प्रेषित करने के पश्चात सत्यापित प्रति की मांग की गयी है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि शीघ्र उक्त से संबंधित कार्रवाई को पूर्ण किया जाय। वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के ऑडिट कराने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी सर्वप्रथम सुनिश्चित कर लें की पिछली बार उठाये गए आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है एवं सभी तरह के निर्धारित रजिस्टर बना दिये गए हैं। उक्त के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु ऑडिट कराने संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. आगत शाखा से संबंधित :–

पृच्छा करने पर आगत शाखा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में निदेशक को सम्बोधित दिनांक 11.08.2021 तक कुल प्राप्त पत्रों की संख्या – 3908 है।

8. निर्गत शाखा से संबंधित :–

निर्गत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में दिनांक 11.08.2021 तक कुल पत्र निर्गत पत्रों की संख्या – 2339 एवं पीत–पत्रों की संख्या – 116 है। उक्त सभी पत्रों को निबंधित डाक/सामान्य डाक/ई–मेल के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

9. बेल्ट्रॉन से संबंधित

अंचलों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों के रिक्ति के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 67 रिक्ति के विरूद्ध 30 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। शेष हेतुं अविलम्ब स्मार प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

10. बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कर्मियों के remuneration बढ़ाने संबंधित लम्बित प्रस्ताव शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

(ख) बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल के टैली सॉफ्टवेयर में किये जा रहे कार्यो का अवलोकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

11. अन्यान्य

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि विभाग स्तर पर लम्बित संचिकाओं/मामले यथा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के अवकाश एवं अन्य आदि के संबंध में विभाग को एक पीत–पत्र उपलब्ध कराने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

(ख) कैथी मामले के संबंध में पत्र निदेशालय को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सारण बन्दोबस्त से इस संबंध में वार्ता कर पत्र के आलोक में आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश जिसका अनुपालन नहीं हो सका है को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह) 23/8/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 83 /गो0 **पटना, दिनांक 23-08-2021**

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 83 /गो0 **पटना, दिनांक 23-08-2021**

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक
23/8/21